कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा (छ0ग0)

/ / विविध आदेश / /

क्रमांक 457 / दो–12–18 / 2006, जांजगीर, दिनांक 15 / 04 / 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी परामर्शिका क्रमांक 343/II-15-08/2004(Pt.B.)/Confdl/2020 Bilaspur Dated 16 March 2020,आदेश क्रमांक–40(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 23 March, 2020, आदेश क्रमांक–41(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 26 March, 2020, आदेश क्रमांक –43(Mis.)/II-14-1/2020 Bilaspur Dated 14 April, 2020 के आलोक में **अपर सत्र न्यायालय, सक्ती** में दिनांक 20/04/2020 से 02 मई, 2020 तक की अवधि में धारा 439 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक प्रथम जमानत आवेदनपत्र का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती अथवा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के द्वारा निर्देशित कर्मचारी के समक्ष प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे के मध्य निम्न दिनांकों में प्रस्तुत किये जायेंगे और उनका निराकरण निम्न दिनांको को करने हेतु निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की ड्यूटी नियत की जाती है:–

| क्र | जमानत आवेदन प्रस्तुति दिनांक | जमानत आवेदनपत्र का विधिवत निराकरण करने का दिनांक | न्यायिक अधिकारी का नाम | न्यायिक अधिकारी का पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/2020 | 22/04/2020 | श्री संतोष कुमार आदित्य | प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती |
| 2 | 23/04/2020 | 25/04/2020 | श्री संतोष कुमार आदित्य | प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती |
| 3 | 27/04/2020 | 29/04/2020 | श्रीमती गीता नेवारे | विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), सक्ती |
| 4 | 30/04/2020 | 02/05/2020 | श्रीमती गीता नेवारे | विशेष न्यायाधीश (एफ.टी.एस.सी.), सक्ती |

यदि जमानत आवेदनपत्र विशेष अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) एवं विद्युत अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उनकी सुनवाई संबंधित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ही उक्त उल्लेखित तिथियों में की जावेगी।

उक्त न्यायिक अधिकारी उक्त जमानत आवेदनपत्र का निराकरण करने हेतु उक्त दर्शित तिथि को दोपहर पश्चात 03.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर न्यूनतम से न्यूतम कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कर जमानत आवेदनपत्रों का निराकरण करेंगे।

उक्त अनुसार नियत किये ड्यूटीरत न्यायिक अधिकारी कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये सामाजिक दूरी बनाकर जमानत आवेदनपत्रों पर तर्क सुनकर उनका विधिवत निराकरण करेंगे। इस संबंध में अधिवक्ता, जो कि न्यायालय कक्ष में उपस्थित होंगे, वे माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी किये गये सभी निर्देशों का पालन करते हुये ही न्यायालय परिसर में और पीठासीन न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे।

अतिरिक्त लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक, सक्ती उक्त दिनांक को प्रस्तुत किये गये जमानत आवेदनपत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और प्रतिलिपि प्राप्त कर संबंधित केस डायरी को उक्त नियत किये गये तिथियों में सुनवाई करने वाले न्यायिक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)

प्रतिलिपि:

पृ0क0 458/दो–12–18/2006, जांजगीर, दिनांक 15/04/2020

1– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सक्ती

2– विशेष न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. सक्ती,

3– अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, सक्ती/डभरा/जैजैपुर/मालखरौदा।

4— अतिरिक्त लोक अभियोजक / विशेष लोक अभियोजक, सक्ती
5— जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जांजगीर
6— अधीक्षक जिला जेल जांजगीर / उपजेल सक्ती।
7— प्रस्तुतकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चांपा।

15.4.20

(राजेश श्रीवास्तव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर चांपा(छ0ग0)